रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 581] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 1986/अग्रहायण 17, 1908

No. 581] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBFR 8, 1986/AGRAHAYANA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 दिसंबर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1268(अ).—औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 33-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् करना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधनों के प्रारूप पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 3 मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत, किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

संशोधनों का प्रारूप

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की प्रथम अनुसूची में :

(i) "क—आयुर्वेदिक और सिद्ध प्रणालियां" शीर्ष के नीचे :—

(क) क्रम संख्या 54 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
"54-क आयुर्वेदिक फार्मुलरी आफ इंडिया (भाग-I)
"54-ख आयुर्वेदिक सार संग्रह।";

(ख) क्रम संख्यांक 83 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी अर्थात् :—
"84—सिद्ध फार्मुलरी आफ इंडिया (भाग-I)"; और

(ii) "ख—यूनानी तिब्ब प्रणाली" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्यांक 12 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
"13. नेशनल फार्मुलरी आफ यूनानी मेडिसन (भाग-I)"।

[सं. के. 11022/3/86-ए.पी. डी.]

एस. के. आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th December, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1268(E).—The following draft amendment further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), which the Central Government proposes to make after consultation with the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by section 33-O of the said Act is published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft on or before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

In the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) :—

(i) Under the Heading "A-AYURVEDIC AND SIDDHA SYSTEMS" :—

(a) after Serial Number 54, the following serial number and entries shall be inserted namely :—

"54-A Ayurvedic Formulary of India (Part I)."

"54-B Ayurveda Sara Samgraha." ;

(b) after serial number 83, the following serial number and entry shall be added, namely :—

"84—Siddha Formulary of India (Part I)" ; and

(ii) under the heading "B-UNANI TIBB SYSTEM", after serial number 12, the following serial number entry shall be added, namely :—

"13. National Formulary of Unani Medicine (Part I)".

[No. K. 11022/3/86-APC]

S. K. ALOK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986